ग्राम पंचायत, गांव कम कलां

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(2001 की सिविल अपील संख्या 4145)

11 फरवरी 2008

(न्यायाधीष: डाॅ अरिजीत पसायत और पी. सथासिवम)

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 -रिट याचिका, 1961 अधिनियम में किये गये संशोधन को चुनौती देते हुए -अनुतोष पर विचार किये बिना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अभिनिर्धारितःनिर्णय/आदेश में स्पष्टता लाने के कारण-रिट याचिका में बताये गये अनुतोष पर विचार करने में विफलता और आदेश को अस्थिर बनाने वाले कारणों की अनुपस्थिति- तथ्यों पर, संशोधन अधिनियम को चुनौती देने के संदर्भ में कोई कारण नही बताया गया है-इस प्रकार मामला उच्च न्यायालय को प्रेशित किया गया-भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226 - निर्णय/आदेश।

इस न्यायालय के निर्णय 'ग्राम पंचायत जमालपुर बनाम मालविंदर सिंह और अन्य के मध्यनजर उच्च न्यायालय ने एसडी-विस्थापित व्यक्ति के पक्ष में शामलाती देह भूमि के आवटंन को रद्द कर दिया। दिनांक 08.05.1995 को पंजाब राज्य ने पंजाब ग्राम सामान्य भूमि(विनियमन)अधिनियम, 1961 में संशोधन किया और इसके आधार, न्यायालय के निर्णय से पहले किये गये भूमि के सभी हस्तांतरण को वैध माना गया।

अपीलार्थी-ग्राम पंचायत ने दिनांक 08.05.1995 की अधिसूचना को रद्द करने और वर्ष 1995 के संशोधन अधिनियम संख्या 8 के प्रावधान, भारतीय संविधान से अधिकारातीत होने एवं 1961 के अधिनियम के उल्लघंनकारी होने के कारण निरस्त करने के लिए रिट याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने मांगे गये अनुतोष पर विचार नहीं किया तथा रिट याचिका को खारिज कर दिया। अतः यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को न्यायालय को प्रेषित किया गया।

अभिनिर्धारितः उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में पंजाब राज्य द्वारा बनाये गये पंजाब ग्राम सामान्य भूमि(विनियमन अधिनियम 1961) में दिनांक 8.5.1995(संशोधन अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1995) द्वारा किये गये संशोधन की वैधता या अन्यथा के संबंध में अनुतोष पर विचार नहीं किया गया।

उच्च न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि व्यावहारिक रूप से संशोधन अधिनियम को चुनौती के संदर्भ में कोई कारण नही बताया गया। उनकी द्वारा मांगे गये अनुतोष पर ध्यान बिना तथा बिना कोई कारण इंगित किये, इस तरह से संक्षिप्त तरीके से रिट याचिका को खारिज करना, स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है। एक आदेश में कारण स्पष्टता प्रदान करत है तथा रिट याचिका में वर्णित अनुतोष/चुनौती पर विचार करनेऐ विफलता और कारणों की अनुपस्थिति उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्थिर बनाती है।

इस प्रकार आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले का विधिनुसार एक तर्कसंगत आदेश द्वारा नये सिरे से निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है, विषेश रूप से रिट याचिका में उठायी गयी आपत्तियों के संदर्भ में।(पेरा 11)(697-सी,डी,ई,एफ)

ग्राम पंचायत आफ विलेज जमालपुर बनाम मालविन्दर सिंह व अन्य पीएलजे 1985 463 =(1985) 3 एसएससी 661 - संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4145/2001

चंडीगढ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 4816/1996 में दिये गये निर्णय व आदेश दिनांक 24.05.2000 से।

उपस्थित पक्षों में एस.डी. शर्मा तथा जे.एस. वासु, बलबीर सिंह गुप्ता, दिनेश वर्मा, ए.पी. मोहंती, राजीव शर्मा, अजय पाल तथा रोहित षामिल हैं।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

पी. सदाशिवम, जे

1. यह अपील चंडीगढ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 4816 वर्ष 1996 में दिये गये निर्णय व आदेश दिनांक 24.05.2000 के विरूद्ध निर्देशित है और जिसके द्वारा डिविजन बेंच ने अपीलार्थी के द्वारा पेश रिट याचिका को खारिज कर दिया।

2. ग्राम पंचायत, ग्राम कम कलां तहसील एव जिला लुधियाना ने अपने सरपंच के माध्यम से उपरोक्त अपील पेश की गयी। अपीलकर्ता के अनुसार, शामलाती देह की 242 कनाल 11 मरले भूमि का म्यूटेशन ग्राम पंचायत के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।

इससे पहले ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 को पजांब अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1954 के द्वारा संशोधित किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 2(जी) में दी गयी शामलाती देह की परिभाशा और संशोधित अधिनियम के प्रावधान को दिनांक 09.01.1954 से पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दिये गये। वर्ष 1965-

66 की जमाबंदी में ग्राम पंचायत को स्वामी के रूप दर्षाया गया है। इसी प्रकार वर्ष 1970-71 में ग्राम पंचायत को मालिक रूप में दिया गया।

3. पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानो तथा निश्क्रमण संपति प्रशासन अधिनियम, 1950 के प्रावधानों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। यह मामला इस न्यायालय में लिया गया तथा दिनांक 19.03.1975 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने विस्थापित व्यक्तियों को भूमि आंवटन पर रोक लगा दी गयी।

इस न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 7 बालमुकुन्द की विधवा सावित्री देवी को भूमि आवर्टिंत कर दी गयी तथा यहां पंचायत-अपीलकर्ता को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में, सावित्री देवी के पक्ष में किये गये शामलाती देह भूमि के आवटंन को चुनौती देने के लिए सिविल रिट याचिका संख्या 3560 वर्ष 1976 पेश करने के लिए मजूबर किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.1985 के द्वारा, यहां प्रतिवादी संख्या 7 सावित्री देवी का आंवटन रद्द कर दिया।

4. वर्ष 1985 में इस न्यायालय ने ग्राम पंचायत आफ विलेज जमालपुर बनाम मालविन्दर सिंह व अन्य, पीएलजे 1985 463 =(1985) 3 एसएससी 661 के प्रकरण में पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानो तथा निश्क्रमण संपति प्रशासन अधिनियम, 1950 के प्रावधानों की प्रतिकूलता से संबंधित प्रश्नों का निपटारा किया गया।

इस मामले में पंजाब राज्य ने यह रूख अपनाया कि 1961 में संशोधित पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 के कारण, शामलाती देह भूमि में लोगों के हित समाप्त हो गये है और शामलाती देह भूमियां पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत के नियत्रंण एवं शक्ति में रखी गयी और उपरोक्त निर्णय के दृश्टिगत उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 3560 वर्ष 1976 को अनुमति प्रदान की तथा सावित्री देवी के पक्ष में किया गया, भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.1985 के इस आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गयी और यह अंतिम आदेश हो गया।

5. वर्ष 1994 में, ग्राम पंचायत ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 सपठीत धारा 5 व 7 पंजाब पंचायत अधिनियम का प्रतिवादी संख्या पांच जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया। दिनांक 08.05.1995 को पंजाब राज्य ने इस न्यायालय के निर्णय ग्राम पंचायत आफ विलेज जमालपुर बनाम मालविन्दर सिंह व अन्य (सुप्रा) को समाप्त करने के आषय से, पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 को संशोधित किया गया, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा विस्तापित व्यक्तियों को अवैध तथा अमान्य आवंटन को विधिमान्य और वैध करता है और इस न्यायालय के निर्णय को नजरअंदाज करने के लिए कलेक्टर को संशोधित प्रावधानों के तहत शक्तियां प्रदान की गयी।

6. दिनांक 25.03.1996 को, ग्राम पंचायत ने अधिसूचना दिनांक 08.05.1995 को रद्द करने के लिए और वर्ष 1995 के संशोधन अधिनियम संख्या 8 के प्रावधान, भारतीय संविधान से अधिकारातीत होने एवं 1961 के अधिनियम के उल्लघंनकारी होने के कारण निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4816 वर्ष 1995 प्रस्तुत की गयी, क्योंकि इसने इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की वैधता को शून्य एवं समाप्त कर दिया।

दिनांक 24.05.2000 को उच्च न्यायालय ने, ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4816 वर्ष 1995 को खारिज कर दिया। चूंकि उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका मांगे गये अनुतोष पर विचार नहीं किया इसलिए ग्राम पंचायत ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

7. हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरीष्ठ अधिवक्ता श्री एस.डी. शर्मा तथा उतरदाता के विद्वान वरीष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एस.वसु, श्री राजीव शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री अजय पाल को सुना गया।

8. अपीलार्थी के ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पंजाब राज्य के द्वारा लाये गये विभिन्न अधिनियमों, संशोधनों साथ ही साथ इस न्यायालय के पूर्ववृति आदेशों की तरफ हमारा ध्यान आकर्शिक करते हुए तर्क किया कि संशोधन अधिनियम 8 वर्ष 1995 तथा अधिसूचना अमान्य और शून्य है और उसे कायम नहीं

रखा जा सकता। उनके अनुसार, विषेश रूप से विषेश आधार कि संशोधन अधिनियम इस न्यायालय के निर्णय को विफल करता है के बावजूद उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा और उनकी किसी भी चुनौती को ध्यान में लाने की त्रुटि की।

9. अपीलकर्ता की शिकायत को समझने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश का संदर्भ लेना उपयोगी है, जो इस प्रकार हैः-

> ‘‘हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। यह स्वीकृत मामला है कि सावित्री के पक्ष में किया गया आवंटन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत आफ विलेज जमालपुर बनाम मालविन्दर सिंह व अन्य 1985 पीएलजे 463 में पारित निर्णय के आधार पर, उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, उक्त निर्णय के प्रभाव को निश्प्रभावी करने के लिए पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1995 के द्वारा एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले किये भूमि के सभी हस्तांतरणों को वैध माना गया।
>
> मामले के इस दृष्टिकोण में, सावित्री देवी के आवंटन को रद्द करने के आदेश का आधार अब अस्तित्व में नहीं रहा। इसलिए हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती। खारिज किया गया।’’

10. ग्राम पंचायत द्वारा रिट याचिका में मांगे गये अनुतोष का उल्लेख करना प्रासंगिक है। अनुतोष इस प्रकार हैः-

> ‘‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह सिविल रिट याचिका पेश है उत्प्रेशण प्रकृति की रिट जारी करने के लिए या किसी अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश, जैसा कि प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो, अधिसूचना संख्या 8-एलईजी/95 दिनांक 8.5.1995 परिषिश्ट पी-9 रद्द करने के लिए और संशोधन अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1995, जो कि भारतीय संविधान से अधिकारातीत होने व अधिनियम के उल्लघंनकारी होने के कारण निरस्त करने के लिए क्योंकि इसने माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय और इस माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की वैधता को शून्य एवं समाप्त कर दिया, जो कि परिशिष्ट पी-6 के अनुसार है।‘‘

यह स्पष्ट है कि विभिन्न आधारों का वर्णन करते हुए, ग्राम पंचायत ने अधिसूचना दिनांक 8.5.1995 को रद्द करने तथा संशोधन अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1995, जो कि भारतीय संविधान, साथ ही साथ इस न्यायालय के पूर्ववृति निर्णय से अधिकारातीत होने से, निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करने की प्रार्थना की।

11. आक्षेपित निर्णय में, पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में लाये गये संशोधन अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1995 के तथ्य को मात्र दर्ज करने के बाद तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि सावित्री देवी के आवंटन को रद्द करने के आदेश का आधार अब अस्तित्व में नहीं रहा, ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका खारिज कर दी गयी।

जैसा कि ग्राम पंचायत की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ठीक ही बताया कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में प्रस्तुत अनुतोष/चुनौती पर विचार नहीं किया है। दुसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विवाद के बिन्दू पर विचार किया है, अर्थात क्या पंजाब राज्य के द्वारा बनाया गया संशोधन दिनांक 8.5.1995 (संशोधन अधिनियम संख्या 8 वर्ष 1995) को वैध रूप से बनया गया या नहीं? उच्च न्यायालय का उपर्युक्त आदेश बताता है कि व्यावहारिक रूप से संशोधन अधिनियम को चुनौती के संदर्भ में कोई कारण नहीं बताया गया।

उनकी द्वारा मांगे गये अनुतोष पर ध्यान बिना तथा बिना कोई कारण इंगित किये, इस तरह से संक्षिप्त तरीके से रिट याचिका को खारिज करना, स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है। इस न्यायालय ने अनेक निर्णयांे में अभिनिर्धारित किया है कि एक आदेश में कारण स्पष्टता प्रदान करत है तथा रिट याचिका में वर्णित अनुतोष/ चुनौती

पर विचार करने ऐ विफलता और कारणों की अनुपस्थिति उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्थिर बनाती है।

इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि उच्च न्यायालय ने संशोधन अधिनियम उसकी अधिसूचना की वैधता तथा अन्यथा की चुनौती पर विचार नही किया गया है, हमारे पास आक्षेपित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है और इसे नये सिरे से निस्तारण करने के लिए उच्च न्यायालय भेजे।

12. उपर्युक्त के मध्यनजर, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करते है और मामले का विधिनुसार एक तर्कसंगत आदेश द्वारा नये सिरे से निस्तारण के लिए भेजे, विशेष रूप से रिट याचिका में उठायी गयी आपत्तियों के संदर्भ में।

हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते है कि हमने मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। चूंकि ग्राम पंचायत ने पहले ही 1996 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते है कि रिट याचिका का यथासंभव शीघ्रता से 30.08.2008 से पूर्व निपटारा करे।

13. सिविल अपील उपर लिखित सीमा तक स्वीकार की जाती है। जुमार्ना राशि का कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी (गजेन्द्र कुमार) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।